

कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

---: आदेश ::---

कमांक/6018/अविअ/रीडर/2019

कवर्धा, दिनांक 22/04/2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला कबीरधाम के आदेश कमांक/2511/सा.लि./कोरोना/2020 दिनांक 14.04.2020 के माध्यम से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक/189/सा.प्र.वि./2020 नया रायपुर दिनांक 16.04.2020 के माध्यम से प्राप्त निर्देश के परिपालन में विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त ज्ञापनों के संदर्भ में, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों (सिर्फ शासकीय प्रयोजन हेतु सरिया, गिट्टी और सीमेंट हेतु) एवं स्टोर्स (जरूरी खाद्यान्न एवं रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं जैसे- हाथ धोने का साबुन, मास्क, सेनेटाईजर, टुथपेस्ट, चार्जर, शैम्पू, नेपकीन इत्यादि) निर्धारित समय-सीमा तक सोशल डिस्टेंस मैनटेन करने की शर्त पर छ.ग. एकेडमीक डिसिज (COVID-19) रेगुलेशन 2020 के तहत प्रदत्त अधिकारों के अधीन कवर्धा अनुभाग स्तर पर संचालन की अनुमति दिया जाता है। किसी भी प्रकार से शासन द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा अनुमति स्वयं निरस्त हो जावेगी।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 22/04/2020

पृ.कमांक/6019/अविअ/रीडर/2019
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय कवर्धा जिला कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कवर्धा जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ।
3. तहसीलदार कवर्धा/स.लोहारा जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कवर्धा/स.लोहारा जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. थाना प्रभारी कवर्धा/स.लोहारा/पिपरिया/दशरंगपुर/बा.चारभाठा/सिंघनपुरी (जं) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



अनुविभागीय दण्डाधिकारी
कवर्धा